भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2522
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चंद्रपुर जिले के येल्लापुर गांव में पानी की कमी

2522. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) चंद्रपुर जिले के जिवती तालुका के येल्लापुर गांव के नागरिकों को पानी की कमी के कारण गांव छोड़ने के लिए मजबूर होने की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या भूमिका है;
(ख) क्या सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी के घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा जिवती तालुका के येल्लापुर गांव में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन कर रही है।

पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

जेजेएम के तहत, सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों, जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों, आकांक्षी जिलों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) और एससी/एसटी बहुल गांवों में नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने को प्राथमिकता दी जाती है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

को प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में जल जीवन मिशन कार्यान्वित करने पर जोर दिया जाता है।

(ख): जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) तथा जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों का चयन पूर्णत एक प्रशासनिक कार्य है और यह संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। इसके अलावा, उपयोग की जाने वाली सामग्री (जैसे पाइप आदि) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीएचई/आरडब्ल्यूएस विभाग/बोर्ड/निगम आदि और कार्य निष्पादित करने वाली एजेंसी की है।

राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जेजेएम के अंतर्गत स्कीम के संबंधित ठेकेदार ने राइजिंग मेन, संवितरण प्रणाली, एलिवेटिड सर्विस जलाशय (ईएसआर), पम्पिंग मशीनरी और एफएचटीसी जैसे आबंटित कार्यों को पूरा कर लिया है। ईएसआर कंटेनर, स्लुइस वाल्व और संवितरण पाइप लाइन में रिसाव हुआ था जिसे ठेकेदार द्वारा ठीक कर दिया गया है।

(ग): जल जीवन मिशन के अंतर्गत, गांव में जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा पेयजल स्रोतों के विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन हेतु और जल की कमी वाले सूखा प्रवण क्षेत्र तथा विश्वसनीय भू-जल स्रोतों से रहित मरूभूमि क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण हेतु अवसंरचना, शोधन और संवितरण प्रणालियों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण स्तर पर अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, आरएलबी/पीआरआई को 15वें वित्त आयोग से सशर्त अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य की योजनाएं, जिला खनिज विकास कोष, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के सामंजस्य में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के प्रावधानों की भी जेजेएम के तहत परिकल्पना की गई है।

राज्य द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, चंद्रपुर जिले के जिवती ब्लॉक में कुल 18,632 ग्रामीण परिवारों में से 15,873 परिवारों (85.19%) को 10.03.2025 तक नल जल कनेक्शन प्राप्त हो गए हैं।

*****